शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत

प्रीलिम्स के लिये:

शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, संविधान की मूल संरचना, सर्वोच्च न्यायालय, NJAC अधिनियम

मेन्स के लिये:

शक्ति और मुद्दों के पृथक्करण का सिद्धांत, संविधान की मूल संरचना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **भारत के उपराष्ट्रपति** ने सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक **1973 के केशवानंद भारती मामले** का हवाला देते हुए **शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत** पर बहस को फिर से शुरू कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन इसकी मूल संरचना में नहीं।

शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत:

- शक्तियों का पृथक्करण **सरकार के विधायी, कार्यकारी और न्यायिक कार्यों का विभाजन** है।
  - अनुच्छेद 50 के अनुसार, राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिये कदम उठाएंगे।
- संवैधानिक सीमांकन से सरकार की किसी भी एक शाखा में शक्ति के एकीकरण को रोका जा सकता है।
- **भारतीय संविधान** संरचना निर्धारित करता है, राज्य के प्रत्येक अंग की भूमिका तथा कार्यों को परिभाषित एवं निर्धारित करता है, उनके अंतर्संबंधों तथा **नियंत्रण और संतुलन** के लिये मानदंड स्थापित करता है।

नियंत्रण एवं संतुलन का साधन:

- **विधायिका का नियंत्रण:**
  - **न्यायपालिका के संदर्भ में:** न्यायाधीशों पर महाभियोग और उन्हें हटाने की शक्ति तथा न्यायालय के 'अधिकार से परे' या अल्ट्रा वायर्स घोषित कानूनों में संशोधन करने तथा इसे पुनः मान्य बनाने की शक्ति।
  - **कार्यपालिका के संदर्भ में:** विधायिका निर्धारित प्रक्रिया के तहत एक अविश्वास मत पारित कर सरकार को भंग कर सकती है। विधायिका को **प्रश्नकाल और शून्यकाल** के माध्यम से कार्यपालिका के कार्यों का आकलन करने की शक्ति प्रदान की गई है।
- **कार्यपालिका का नियंत्रण:**
  - **न्यायपालिका के संदर्भ में:** **मुख्य न्यायाधीश** और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करना।
  - **विधायिका के संदर्भ में:** **प्रत्यायोजित कानून** के तहत प्राप्त शक्तियाँ। संविधान के प्रावधानों के तहत संबंधित कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु आवश्यक नियम बनाने का अधिकार।
- **न्यायिक नियंत्रण:**
  - **कार्यपालिका पर:** **न्यायिक समीक्षा** यानी संविधान के उल्लंघन की स्थिति में कार्यकारी गतिविधियों की जाँच करने का अधिकार ।
  - **विधायिका पर:** केशवानंद भारती मामला 1973 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित **मूल संरचना सिद्धांत** के तहत संविधान की असंशोधनीयता।

शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित समस्याएँ:

- **कमज़ोर विपक्ष:** नियंत्रण और संतुलन लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है। ये लोकतंत्र को बहुसंख्यकवादी व्यवस्था में बदलने से रोकते हैं।
  - संसदीय प्रणाली में **ये नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत विपक्षी दल द्वारा प्रदान किये जाते हैं।**
  - हालाँकि लोकसभा में **एक दल के बहुमत ने संसद में एक प्रभावी विपक्ष की भूमिका को कम कर दिया है।**
- **न्यायपालिका की नियंत्रण और संतुलन के प्रति विमुखता : राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग** की स्थापना **99वें संवैधानिक संशोधन** द्वारा

की गई थी, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारातीत करार दिया था।
    - **NJAC अनुचित राजनीतिकरण से व्यवस्था की स्वतंत्रता की गारंटी दे सकता है, नियुक्तियों की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है,** चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता को बढ़ा सकता है, न्यायपालिका की संरचना में विविधता को बढ़ावा दे सकता है और व्यवस्था में जनता के विश्वास का पुनर्निर्माण कर सकता है।
- **न्यायिक सक्रियता:** हालिया कई निर्णयों में को देखें तो कानून और नियम से संबंधित निर्णय लेने के मामले में सर्वोच्च न्यायालय अति-सक्रिय हो गया है। यह विधायिका एवं कार्यपालिका के क्षेत्र का उल्लंघन है।
- **कार्यपालिका:** भारत में कार्यपालिका पर सत्ता के अति-केंद्रीकरण, सार्वजनिक संस्थानों को कमज़ोर करने, कानून, व्यवस्था और राज्य की सुरक्षा में सुधार के लिये कानून पारित करने के साथ-साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने की आलोचना की जाती है।

संविधान की मूल संरचना:

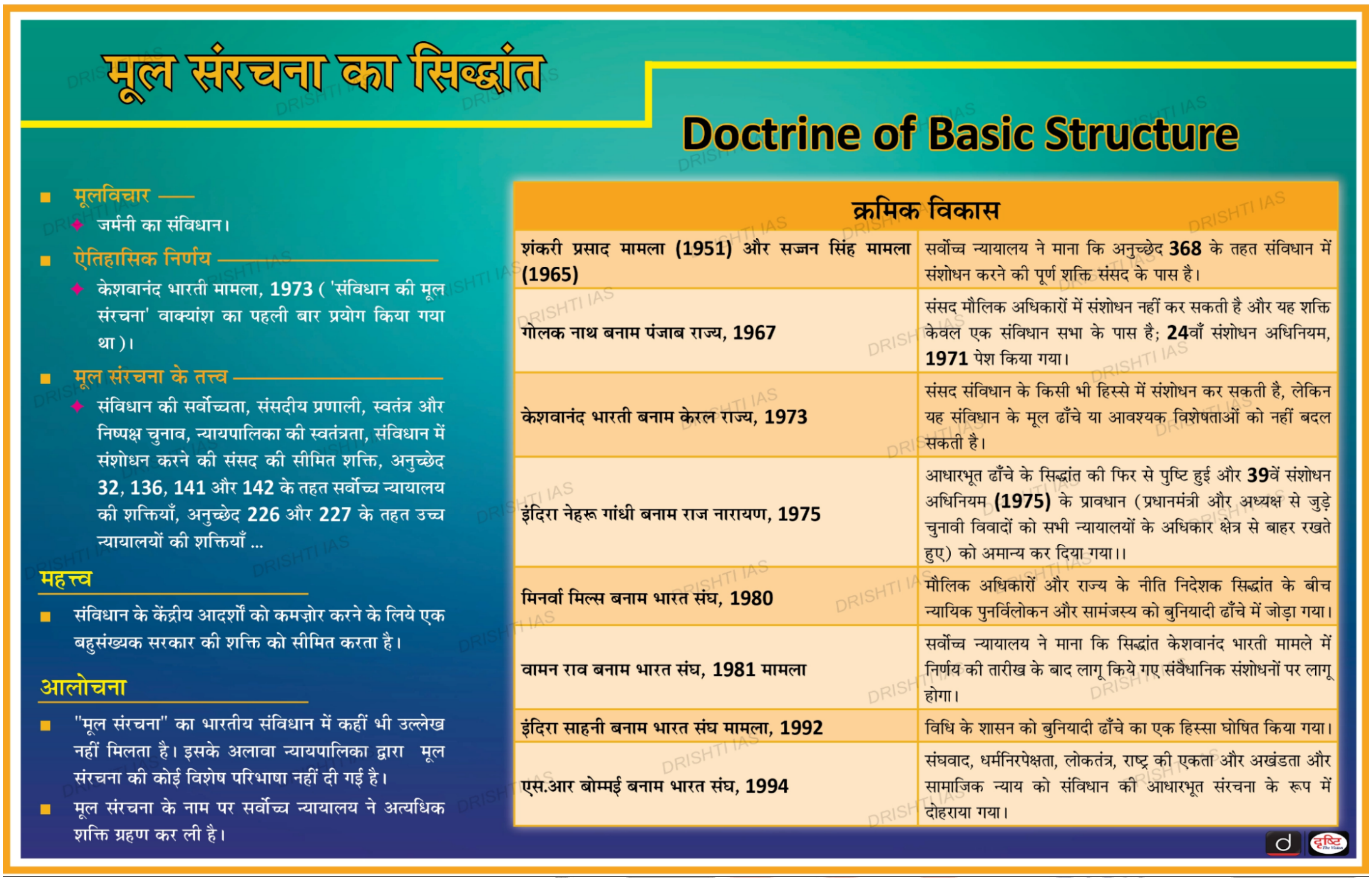

क्रमिक विकास	
शंकरी प्रसाद मामला (1951) और सज्जन सिंह मामला (1965)	सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की पूर्ण शक्ति संसद के पास है।
गोलक नाथ बनाम पंजाब राज्य, 1967	संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है और यह शक्ति केवल एक संविधान सभा के पास है; 24वाँ संशोधन अधिनियम, 1971 पेश किया गया।
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973	संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन यह संविधान के मूल ढाँचे या आवश्यक विशेषताओं को नहीं बदल सकती है।
इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण, 1975	आधारभूत ढाँचे के सिद्धांत की फिर से पुष्टि हुई और 39वें संशोधन अधिनियम (1975) के प्रावधान (प्रधानमंत्री और अध्यक्ष से जुड़े चुनावी विवादों को सभी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखते हुए) को अमान्य कर दिया गया।।
मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, 1980	मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के बीच न्यायिक पुनर्विलोकन और सामंजस्य को बुनियादी ढाँचे में जोड़ा गया।
वामन राव बनाम भारत संघ, 1981 मामला	सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि सिद्धांत केशवानंद भारती मामले में निर्णय की तारीख के बाद लागू किये गए संवैधानिक संशोधनों पर लागू होगा।
इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामला, 1992	विधि के शासन को बुनियादी ढाँचे का एक हिस्सा घोषित किया गया।
एस.आर बोम्मई बनाम भारत संघ, 1994	संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, राष्ट्र की एकता और अखंडता और सामाजिक न्याय को संविधान की आधारभूत संरचना के रूप में दोहराया गया।

//

आगे की राह

- भारत का संविधान एक जीवंत दस्तावेज़ है और **इसमें बदलाव के समय समाज की ज़रूरतों को ध्यान में रखना चाहिये।**
- भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वीकार किया कि ज्ञान पर किसी पीढ़ी का एकाधिकार नहीं है और कोई भी पीढ़ी यह तय नहीं कर सकती है कि आने वाली पीढ़ियों हेतु सरकार कैसी होनी चाहिये।
    - हालाँकि संशोधन की शक्ति का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाना चाहिये।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

???????????:

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2020)

1. भारत का संविधान संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक अधिकारों और लोकतंत्र के संदर्भ में अपनी 'मूल संरचना' को परिभाषित करता है।
2. भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करने और उन आदर्शों को संरक्षित करने हेतु 'न्यायिक समीक्षा' प्रदान करता है जिस पर संविधान आधारित है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (d)

व्याख्या:

- भारत का संविधान मूल संरचना को परिभाषित नहीं करता है, यह एक न्यायिक नवाचार है।
- केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले (1973) में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है जब तक कि यह संविधान की मूल संरचना या महत्त्वपूर्ण विशेषताओं को नहीं बदलता या संशोधित नहीं करता है।
- हालाँकि अदालत ने 'बुनियादी संरचना' शब्द को परिभाषित नहीं किया और केवल कुछ सिद्धांतों- संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र को इसके हिस्से के रूप में सूचीबद्ध किया।
- तब से 'मूल संरचना' सिद्धांत की व्याख्या संविधान की सर्वोच्चता, कानून के शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, सरकार की संसदीय प्रणाली, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का सिद्धांत, कल्याणकारी राज्य आदि को शामिल करने के लिये की गई है। **अतः कथन 1 सही नहीं है।**
- संविधान में ऐसा कोई प्रत्यक्ष और स्पष्ट प्रावधान नहीं है जो न्यायालयों को कानूनों को अमान्य करने का अधिकार देता हो, लेकिन संविधान ने प्रत्येक भाग पर निश्चित सीमाएँ लगाई हैं, जिसके उल्लंघन से कानून शून्य हो जाएगा। न्यायालय को यह तय करने का काम सौंपा गया है कि किसी भी संवैधानिक सीमा का उल्लंघन किया गया है या नहीं। **अतः कथन 2 सही नहीं है।**

अतः विकल्प (d) सही है।

प्रश्न. 'आधारिक संरचना' के सिद्धांत से प्रारंभ करते हुए न्यायपालिका ने यह सुनिश्चित करने के लिये कि भारत एक उन्नतशील लोकतंत्र के रूप में विकसित हो, एक उच्चतः अग्रलक्षी (प्रोऐक्टिव) भूमिका निभाई है। इस कथन के प्रकाश में लोकतंत्र के आदर्शों की प्राप्ति के लिये हाल के समय में 'न्यायिक सक्रियतावाद' द्वारा निभाई भूमिका का मूल्यांकन कीजिये। (मुख्य परीक्षा, 2014)

प्रश्न. अध्यादेशों का आश्रय लेने ने हमेशा ही शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत की भावना के उल्लंघन पर चिंता जागृत की है। अध्यादेशों को लागू करने की शक्ति के तर्काधार को नोट करते हुए विश्लेषण कीजिये कि क्या इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के विनिश्चयों ने इस शक्ति का आश्रय लेने को और सुगम बना दिया है। क्या अध्यादेशों को लागू करने की शक्ति का निरसन कर दिया जाना चाहिये? (मुख्य परीक्षा, 2015)

प्रश्न. क्या आपके विचार में भारत का संविधान शक्तियों के कठोर पृथक्करण के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है बल्कि यह "नियंत्रण और संतुलन" के सिद्धांत पर आधारित है? व्याख्या कीजिये। (मुख्य परीक्षा, 2019)

प्रश्न. न्यायिक विधान, भारतीय संविधान में परिकल्पित शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपक्षी है। इस संदर्भ में कार्यपालक अधिकारणों को दिशा-निर्देश देने की प्रार्थना करने संबंधी बड़ी संख्या में दायर होने वाली लोक हित याचिकाओं का न्याय औचित्य सिद्ध कीजिये। (मुख्य परीक्षा, 2020)

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/doctrine-of-separation-of-powers-1